फर्द अहकाम

हेमराज बनाम रामनिवास

नाम न्यायालय ACM (FI) Shahpura Shahpura Jaipur

केस संख्या 36/2024

धारा T.I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य .... में। पत्रावली गत आदेशानुसार दि............ को पेश हो। (रीडर)	
	13/4/26	पत्रावली आज पेश हुई। मूल वाद में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदिका पर Not press का अंकन किये जाने उपरांत एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर किये जाने के उपरांत दावा खारिज किया जा चुका है। मूल वाद खारिज होने से उक्त आवेदन T.I. का अब कोई औचित्य नहीं रहा है अतः पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित स्वरूप बाद शामिल दफ्तर होवे एवं मूल वाद के शामिल हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	Not press 13/04/2026 वादी अधिवक्ता

न्यायालय - सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

राजस्व वाद सं0- 36 /[illegible]

1. [illegible] पुत्र स्व0 [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible]
3. [illegible] पुत्र स्व0 [illegible]
4. मंजू देवी पत्नि स्व0 हरिओम
5. आकाश पुत्र हरिओम उम्र-19 वर्ष
6. कु0 [illegible] उम्र-17 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मंजू देवी पत्नि स्व0 हरिओम

समस्त जाति रैगर, निवासी शान्ति नगर, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

-प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनिवास पुत्र स्व0 नाथूराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 नाथूलाल
3. मूलचन्द पुत्र स्व0 नाथूलाल
4. प्रेमराज पुत्र स्व0 नाथूलाल
5. गोपाल पुत्र रामनिवास
6. ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास
7. सूरजी देवी पत्नि रामनिवास
8. कमली देवी पत्नि बाबूलाल
9. श्यामा देवी पत्नि मूलचन्द
10. मोहन पुत्र मूलचन्द
11. आरती देवी पुत्री मुलचन्द
12. विकम पुत्र बाबूलाल
13. द्रौपदी पत्नि गोपाल
14. मंजू पत्नी ओमप्रकाश

समस्त उम्र-व्यस्क, जाति रैगर निवासी शान्ती नगर मनोहरपुर, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0

अमन

श्रीमान जी-

(1) प्रस्तुत वाद न्यायालय क्षेत्राधिकार प्रचलित है।

(2) उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

(3) केवियट प्रा०पत्र पेश नहीं है।

[signature]
5/4/24

श्रीमान AC को स्मरण

दर्ज रजिस्टर
रजिस्टर हो
[signature]
08/4/24

15. रामजीलाल पुत्र स्व0 भँवरा जाति रैगर, निवासी शान्ति नगर, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0) -अप्रार्थीगण

-तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

श्रीमान् जी,

सेवामें प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार पेश है :-

1. यहकि वादीगण/प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र आज न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वादीगण/प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।
2. यहकि हाल आराजी खसरा नं0--1699/4 रकबा 0.09, 1700/4 रकबा 0.50, 1820/2 रकबा 0.24 कुल किता-3 कुल रकबा 0.8350 लगानी 2.94 पैसे खाता सं0-58 वाकै ग्राम प्रतापपुरा, पटवार हल्का मनोहरपुर, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थीगण व उनकी माता मृतका जमना देवी व वादी सं0-4, 5, 6 के पति व पिता व प्रार्थीगण के भाई हरिओम पुत्र भंवरा के नाम बराबर बराबर हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है नकल जमाबन्दी सं0-2074 से 2077 बहल्फ प्रार्थना पत्र पेश है।
3. यहकि उक्त आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र की खण्ड सं0-1 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात रही है जिस पर प्रार्थीगण तरतीबी अप्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से बइल्म अप्रार्थीगण व वारिसान के काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।
4. यहकि उक्त आराजी मिनाते नालिस वर्णित प्रार्थना पत्र की खण्ड सं0-1 में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार अपने खातेदारी व अपने कानूनी हक हकूको के तहत आराजी मुतनाजा खसरा नं0-1820/2/0.24 है0 पर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर भी अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है।

अमन

5. यहकि उक्त आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र की खण्ड सं0-1 में प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति का या अप्रार्थीगण का कभी कब्जा या वास्ता नहीं रहा है।

6. यहकि प्रार्थीगण एक शरीफ व कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है जबकि अप्रार्थीगण बाजौर किस्म के धन व ऊंची राजनैतिक पहूँच वाले व झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है जिन्होने प्रार्थीगण की उक्त आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र की खण्ड सं0-1 को जबरन गैरकानूनी रूप से हड़प करने की बदनियति से आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं0-1820/2 में व कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत पैदा करते है व कानूनको अपने हाथ में लेकर प्रार्थीगण को को जबरन बेदखल करने पर आमादा रहते है जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का हक व अधिकार नहीं है।

7. यहकि अप्रार्थीगण ने आज से अर्सा-10 दिन पूर्व प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आरजी वर्णित प्रार्थना पत्र की खण्ड सं0-1 में वर्णित खसरा नं0-1820/2 रकबा 0.24 है0 वाकै ग्राम प्रतापपुरा में खडे पेडो की टहनियां काट रहे थे व आराजी की देखरेख कर रहे थे तब अप्रार्थीगण कुछ अजनबी भुमाफिया किस्म के लोगो ने अचानक अपने हाथ में लाठी, फर्सी व अन्य हथियार लेकर मौके पर आये व जबरन प्रार्थीगण को बेदखल कर प्रार्थीगण की आराजी में जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे व एलानियाँ धमकी देने लगे कि वे उक्त विवादास्पद आराजीयात में जबरन कब्जा पक्का निर्माण करके उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करेगे व प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त व कृषि भूमि से जबरन बेदखल करेगे कानून उनका कुछ नही बिगाड सकता इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खिलाफ उक्त दावा पेश करना आवश्यक आया है।

8. यहकि अप्रार्थीगण जो कि धनी व ऊंची राजनैतिक पहूँच वाले व्यक्ति है जो कि अपने उक्त गैरकानूनी मनसूबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण जो कि एक 'शरीफ व कानून में विश्वास करने वाले व्यक्ति है को अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि से महरूम होना पडेगा व अनेको मुकदमें बाजी में फंसना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में किया जाना संभव नहीं होगा।

अमन

8 यहकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विवरण शपथ पत्र एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का पक्ष प्रथम दृष्टया में बलवान है व सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय हानि का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के जिमन नं0-1 में वर्णित आराजीयात में खसरा नं0-1820/2 रकबा 0.2400 कुल किता-1 वाकै ग्राम प्रतापपुरा तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण मजाहमत पैदा ना करे व उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा नहीं करे कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे व प्रार्थीगण को उनके वारिसान को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे आराजी मुतनाजा के मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीगण

दिनांक 03/04/2024 अमन

(1) केशरमल पुत्र स्व0 भँवरा (2) रामनारायण पुत्र स्व0 भँवरा (3) हनुमान सहाय पुत्र स्व0 भँवरा (4) मंजू देवी पत्नि स्व0 हरिओम (5) अमन पुत्र हरिओम उम्र-19 वर्ष (6) कु0 वन्दना उम्र-17 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मंजू देवी पत्नि स्व0 हरिओम जाति रैगर, निवासी शान्ति नगर, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)